

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

शुद्धी अनुपात वकील वादी एवं वादी को
इजलास उठके तक आकरे दिलवाई गई परन्तु वादी
एव वादी ककील उपस्थित नशालत नही आये अह प्रकार
केस परकी अदक हाजिरी में खारिज किया जाय
ही प्रमावली फैसल सुनाए होकर नम्बर के कक
ही वाद खारज करिब हो।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

